न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

(13

विविध वाद संख्या– 09/2014–15

–:आदेश:–

अनुसूची 14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
12/7/18	प्रस्तुत वाद की कार्रवाई अपर समाहर्त्ता, बोकारो के पत्रांक 447/रा0 दिनांक 28.04.2014 से आवेदक 1. भागीरथ शर्मा एवं अन्य, सा0 चास, थाना चास, जिला बोकारो के आवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है। इस न्यायालय द्वारा आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत कर सुनवाई प्रारंभ की गई।	

विवादित भूमि				
मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
चास	30	752	7562	1.37ए0

प्रथम पक्ष द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित रूप से बताया गया है कि मौजा चास, खाता नं0 752, प्लॉट नं0 7562, रकवा 1.37ए0 भूमि पर टाईटिल सूट नं0 1693 में सब जज 1st बोकारो के न्यायालय से डिक्री प्राप्त है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची के C.M.P. No. 138/2013 में भी उक्त डिक्री को बरकरार रखा है। इनके द्वारा संबंधित भूमि पर वन विभाग द्वारा किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न करने देने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रतिबंधित वन भूमि से संबंधित भूमि को Negative list में रखने हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापांक 2755 दिनांक 12.10.2017 से सूचित किया गया है। मौजा चास, खाता नं0 752, प्लॉट नं0 7562, रकवा 1.37ए0 की भूमि गैरमजरूआ खाते की भूमि है एवं उक्त प्लॉट अधिसूचित वन भूमि है।

उपरोक्त संबंधित भूमि पर स्वामित्व का निर्धारण करना इस न्यायालय के कार्य क्षेत्र के बाहर है।

अतः इस आशय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.18 19:07:20 +05:30
Location: 192.168.1.42

12/07/18   12/07/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चास।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चास।